2/6/17

पत्रावली आज न्याय सामने हाजर है। मय
मसूदा में पेश हुई। वकलात उभय
पक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन
किया। वादी ने पैतृक सम्पत्ति के हिस्से
लेने का दावा पेश किया है परन्तु वादी
ने पैतृक सम्पत्ति के संबंध में किसी
प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया
है। अतः पैतृक सम्पत्ति के सबूत के
अभाव में तथा किसी प्रकार का कानूनी
बिन्दु नहीं होने के कारण पत्रावली
खारिज की जाती है। पत्रावली मय नकल
शुमार होकर दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner